20-01-2022

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी वनाराम चौधरी पुत्र बालाराम जी, जाति–कलबी, निवासी– धाण, तहसील रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री गणेश जनरल स्टोर, सेलवाडा रोड, वाटर वर्क्स के सामने, रेवदर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी वनाराम को नोटिस की तामिल होने पर प्रतिवादी इस न्यायालय में दिनांक 27.10.2021 को उपस्थित हुआ था एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा था जो न्यायहित में दिया गया, लेकिन प्रकरण में नियत आगामी सुनवाई तिथि 01.12.2021 को प्रतिवादी उपस्थित नही हुआ। उसके बाद प्रतिवादी वनाराम चौधरी को इस न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई तिथि 19.01.2022 से सूचित किया जाने के बाद भी प्रतिवादी वनाराम चौधरी इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 19.1.2022 को उपस्थित नही हुआ है एवं न ही प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी इस न्यायालय में नियत तिथि 19.1. 2022 को उपस्थित नही हुए। प्रकरण में प्रतिवादी वनाराम चौधरी को नोटिस की [illegible] के बावजूद भी नियत तिथि 19.1.2022 [illegible] नही होने एवं [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:25 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.31/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी की ओर ,से कोई जवाब प्रस्तुत नही होने के कारण प्रकरण में प्रतिवादी वनाराम चौधरी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।	

पत्रावली के अध्ययन एवं अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2019 को समय 2.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म श्री गणेश जनरल स्टोर, सेलवाडा रोड, वॉटर वर्क्स के सामने, रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी वनाराम चौधरी पुत्र बालाराम जी, जाति– कलबी, निवासी– धाण, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (अनारकली ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (अनारकली ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता वनाराम चौधरी को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (अनारकली ब्राण्ड) के 55x150 ग्राम पैक्ड पाउचेज में से स्वीट सुपारी (अनारकली ब्राण्ड) के 16 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 150 ग्राम) को जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 800/– (रुपये आठ सौ मात्र) विक्रेता वनाराम चौधरी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1043, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (अनारकली ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना पाउचेज पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों खरीदशुदा स्वीट सुपारी (अनारकली ब्राण्ड) को अलग अल[illegible] में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की ह[illegible] पेपर स्लिप S-1043 को नियम[illegible] प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार [illegible] नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर [illegible] व स्वयं आवेदक खाद्य

.........लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:25 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज०)

प्रा. जिला अभियोजन
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.31/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 15.10.2019 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबूलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 14.10.2019 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री गणेश जनरल स्टोर, सेलवाडा रोड, वॉटर वर्क्स के सामने, रेवदर, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता वनाराम चौधरी से खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (अनारकली ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (अनारकली ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1043 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./814/Act/2019/925 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (अनारकली ब्राण्ड) का नमूना असुरक्षित खाद्य (Unsafe Food) पाया गया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता वनाराम चौधरी को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 06.11.2019 की प्रति प्रेषित कर जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच हेतु अपील आवेदन फार्म 8 में 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया। जिस पर प्रतिवादी वनाराम चौधरी द्वारा खाद्य पदार्थ स्वीट [illegible] के पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर [illegible] स्वीट सुपारी (अनारकली ब्राण्ड) के [illegible] फूड ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:25 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.31/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

लेबोरेट्री, मैसूर को जांच हेतु भिजवाया। प्रकरण में रेफरल फूड लेबोरेट्री, मैसूर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण प्रमाण पत्र नम्बर 306F/FSSA/2020 दिनांक 09.7.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (अनारकली ब्राण्ड) का नमूना संख्या 1043 अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी वनाराम चौधरी ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (अनारकली ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी वनाराम चौधरी पुत्र बालाराम जी, जाति– कलबी, निवासी– धाण, तहसील रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्री गणेश जनरल स्टोर, सेलवाडा रोड, वॉटर वर्क्स के मसाने, रेवदर, जिला– सिरोही ने अमानक(Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ स्वीट सुपारी (अनारकली ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत के तहत प्रतिवादी प्रतिवादी वनाराम चौधरी पुत्र बालाराम जी, जाति– कलबी, निवासी– धाण, तहसील रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्री गणेश जनरल स्टोर, सेलवाडा रोड, वॉटर वर्क्स के मसाने, रेवदर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी प्रतिवादी वनाराम चौधरी पुत्र बालाराम जी, जाति– कलबी, निवासी– धाण, तहसील रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्री गणेश जनरल स्टोर, सेलवाडा रोड, वॉटर वर्क्स के मसाने, रेवदर, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भु[illegible] शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय नि[illegible] अ[illegible]री एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सि[illegible] के कार्यालय [illegible] के भीतर जमा करवाये। निर्ण[illegible] फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधि[illegible] को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन[illegible] दिनांक 22.2.2022 को पेश हो।

(के.आर.खौड़)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:25 IST
Reason: SelfAttested